रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 399] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 23, 1994/अश्विन 1, 1916
No. 399] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 23, 1994/ASVINA 1, 1916

वाणिज्य मंत्रालय

(पूर्ति विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1994

सा.का.नि. 722 (अ):—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पूर्ति सेवा (समूह "क") नियम, 1985 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय पूर्ति सेवा (समूह "क") नियम 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) किसी श्रेणी के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अधीन उस श्रेणी में नियुक्तियां करने के लिए सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है,

(ख) "काडर" से अनुसूची—1 में यथा-विनिर्दिष्ट श्रेणियों में के पदों का समूह अभिप्रेत है,

(ग) "काडर नियंत्रण प्राधिकारी" से भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय का पूर्ति विभाग अभिप्रेत है,

(घ) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है,

(ङ) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से किसी श्रेणी में प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए गठित कोई समिति अभिप्रेत है,

(च) "कर्तव्य पद" से अनुसूची 1 में सम्मिलित कोई पद अभिप्रेत है,

(छ) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है,

(ज) "श्रेणी" से अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कोई श्रेणी अभिप्रेत है,

(झ) किसी श्रेणी के संबंध में "नियमित सेवा" से उस श्रेणी में नियुक्ति के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार नियमों के अधीन उस पद पर चयन और नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में की गई सेवा की अवधि अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत ऐसी अवधि भी आती है :—

(i) जो नियम 6 के अधीन नियुक्त किए गए व्यक्तियों की दशा में ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए हिसाब में ली गई है;

(ii) जिसके दौरान किसी अधिकारी ने उस श्रेणी में कोई कर्तव्यपद धारण किया होता यदि वह छुट्टी पर नहीं होता, या

ऐसा पद धारण करने के लिए अन्यथा उपलब्ध नहीं होता,

(ञ) "अनुसूची" से इन नियमों की कोई अनुसूची अभिप्रेत है;

(ट) "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति" के वही अर्थ होंगे जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में उनके हैं;

(ठ) "सेवा" से भारतीय पूर्ति सेवा (समूह "क") अभिप्रेत है।

3. सेवा की संरचना : अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट सेवा में सम्मिलित सभी कर्तव्य पद केन्द्रीय सिविल सेवा समूह "क" पद के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे ।

4. श्रेणी, संख्या और उसका पुनर्विलोकन :

(1) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित कर्तव्य पद, उनकी संख्या और वेतनमान वे होंगे जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट हैं;

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी—

(क) सरकार, समय-समय पर विभिन्न श्रेणियों के कर्तव्य पदों में अस्थाई परिवर्धन या परिवर्तन कर सकेगी :

(ख) सरकार आयोग के परामर्श से सेवा में ऐसे पद सम्मिलित कर सकेगी जिन्हें प्रास्थिति, श्रेणी, वेतनमान और वृत्तिक विषय वस्तु में सेवा में सम्मिलित पदों के समतुल्य समझा जा सकता है या सेवा में पहले ही सम्मिलित किसी कर्तव्य पद को सेवा से हटा सकेगी, और

(ग) सरकार, आयोग के परामर्श से खंड (ख) के अधीन सेवा में सम्मिलित किसी कर्तव्य पद पर किसी अधिकारी को नियमित आधार पर समुचित श्रेणी में नियुक्त कर सकेगा और सदृश श्रेणी में उसकी निरंतर नियमित सेवा को ध्यान में रखते हुए उस श्रेणी में उसकी ज्येष्ठता नियत कर सकेगी।

5. सेवा के सदस्य :

(1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे :—

(क) नियम 6 के अधीन कर्तव्य पदों पर नियुक्त व्यक्ति, और

(ख) नियम 7 के अधीन कर्तव्य पदों पर नियुक्त व्यक्ति।

(2) उपनियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसी नियुक्ति की तारीख से अनुसूची 1 में उसे लागू समुचित श्रेणी में सेवा का सदस्य समझा जायेगा ।

(3) उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसी नियुक्ति की तारीख से अनुसूची 1 में उसे लागू समुचित श्रेणी में सेवा का सदस्य होगा।

6. सेवा का प्रारंभिक गठन :

(1) वे सभी विद्यमान अधिकारी जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को भारतीय पूर्ति सेवा के कनिष्ठ काल वेतनमान, ज्येष्ठ काल वेतनमान, कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी और कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के चयन श्रेणी—अकृतियक में नियमित आधार पर कर्तव्य पद धारण किए हुए हैं, अपनी-अपनी श्रेणी में सेवा के सदस्य होंगे।

(2) वे सभी विद्यमान अधिकारी जो इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को सेवा की क्रमशः कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी और ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी की चयन श्रेणी—कृत्यिक में नियमित आधार पर उपमहानिदेशक और अपर महानिदेशक के कर्तव्य पद धारण किए हुए हैं, इन नियमों के प्रारंभ में पूर्व यथा विद्यमान अपने-अपने पदों पर और श्रेणियों में तब तक बने रहेंगे जब तक कि उनको उपनियम (3) के उपबंधों के अनुसार 5900–6700 रु. के वेतनमान में अउप महानिदेशक और 7300–7600 रु. के वेतनमान में पर महानिदेशक के उन्नत पद पर नियुक्ति नहीं हो जाती ।

(3) ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (5900–6700 रु.) में अपर महानिदेशक और कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (4500–5700 रु.) की कृत्यिक चयन श्रेणी में उपमहानिदेशक के पदों के क्रमशः 7300–7600 रु. और 5900–6700 रु. के वेतनमान में इन पदों के उन्नयन से पूर्व विद्यमान नियमित धारकों की उपयुक्तता का उन्नयित पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारण प्रारंभ से आयोग द्वारा किया जाएगा यदि उपयुक्त निर्धारित किया जाता है तो उन्हें प्रारंभिक गठन पर उस पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा। यदि उन्हें उन्नयित वेतनमान पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त निर्धारित नहीं किया जाता है तो वे पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में बने रहेंगे और उनके मामले का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन किया जाएगा।

(4) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व उपनियम (1) और उपनियम (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों की नियमित निरंतर सेवा की गणना सेवा में परिवीक्षा, प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा, पुष्टीकरण और पेंशन के प्रयोजन के लिए की जाएगी।

(5) जहां काडर नियंत्रण प्राधिकारी इस नियम के उपबंधों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों की प्राधिकृत नियमित संख्या में पदों को भरने में समर्थ न हो वहां उन्हें नियम 7 और नियम 8 के उपबंधों के अनुसार भरा जाएगा।

7. भविष्य में सेवा को बनाए रखना :

(1) अनुसूची 1 में निर्दिष्ट किसी श्रेणी की रिक्तियां इस नियम में इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में भरी जाएंगी ।

(2) (क) सेवा की कनिष्ठ काल वेतनमान की श्रेणी में की 50 प्रतिशत रिक्तियां आयोग द्वारा संचालित सम्मिलित इंजीनियरी सेवा परीक्षा के आधार पर इस प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा विनिश्चित शैक्षिक अर्हता और आयु-सीमा के आधार पर सीधी-भर्ती द्वारा भरी जाएंगी ।

(ख) कनिष्ठ काल वेतनमान की श्रेणी में की 50 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे अधिकारियों द्वारा भरी जाएंगी जो ठीक नीचे की श्रेणी में हैं और जिन्होंने अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक सेवा की है ।

(3) सेवा के ज्येष्ठ काल वेतनमान और उससे ऊपर की श्रेणियों में की सभी रिक्तियां ऐसे अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी जो अपनी-अपनी श्रेणी में ठीक नीचे की हैं और जिन्होंने अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक सेवा की है ।

(4) प्रोन्नति के लिए अधिकारियों का चयन निम्नलिखित मामलों के सिवाय गुणावगुण के आधार पर चयन द्वारा किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) सेवा में कनिष्ठ काल वेतनमान के पदों में से ज्येष्ठ काल वेतनमान के पदों पर अधिकारियों की प्रोन्नति अनुपयुक्त व्यक्तियों की अभ्यीकृति को अधीन रहते हुए, ज्येष्ठता के क्रम में की जाएगी, और

(ख) सेवा की कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में चयन श्रेणी (अकृत्यिक) सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार समग्र कार्य पालन, अनुभव और अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए उनकी उपयुक्तता पर आधारित उनकी ज्येष्ठता के क्रम में दी जाएगी ।

(5) उपनियम (2) की मद (ख) और उपनियम (3) के अधीन आने वाले प्रत्येक मामले में अधिकारी का चयन, अनुसूची–3 के अनुसार गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा।

(6) यदि सेवा की किसी श्रेणी में नियुक्त किसी अधिकारी के संबंध में, उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए विचार किया जाता है कि तो उस श्रेणी में उससे ज्येष्ठ सभी व्यक्तियों के संबंध में भी इस बात के होते हुए भी विचार किया जाएगा कि वे विहित पात्रता सेवा पूरी नहीं करते हैं यदि कमी एक वर्ष से अधिक नहीं है और परन्तु यह तब तक कि उन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि, यदि विहित की गई हो, सफलतापूर्वक पूरी कर ली है ।

8. कर्तव्यों पदों का प्रतिनियुक्ति पर भरा जाना :–

नियम 7 में किसी बात के होते हुए भी, जहां सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा आयोग से परामर्श करके किसी श्रेणी के किसी कर्तव्य पद को तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए, जो विशेष परिस्थितियों में, जैसा कि सरकार उपयुक्त समझे, 5 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी, प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा भर सकेगी, इस नियम के अधीन सेवा की किसी श्रेणी में नियुक्ति के लिए अर्हता, अनुभव और पात्रता सेवा सरकार द्वारा प्रत्येक अवसर पर आयोग से परामर्श करके विनिश्चित की जाएगी ।

9. ज्येष्ठता :

(1) किसी श्रेणी में नियुक्त किए गए सेवा के सदस्यों की नियम 6 के अधीन अपनी-अपनी श्रेणी में सापेक्ष ज्येष्ठता वह होगी जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को प्राप्त हो । परन्तु यदि ऐसे किसी सदस्य की ज्येष्ठता उक्त तारीख को विनिर्दिष्ट रूप से अवधारित नहीं की गई थी तो वह ज्येष्ठता के नियतन को शासित करने वाले नियमों के आधार पर इस प्रकार अवधारित की जाएगी जो इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व सेवा के सदस्यों को लागू होते थे ।

(2) नियम 6 के अधीन नियुक्त किए गए व्यक्तियों से भिन्न सेवा में भर्ती किए गए व्यक्तियों की ज्येष्ठता सरकार द्वारा इस विषय पर समय-समय पर जारी किए गए साधारण अनुदेशों के अनुसार अवधारित की जाएगी ।

(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) के अंतर्गत न आने वाले मामलों में ज्येष्ठता का अवधारण सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से किया जाएगा ।

10. परिवीक्षा :

(1) सेवा के कनिष्ठ काल वेतनमान में के पद पर सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा नियुक्त होने पर प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा :

परन्तु नियंत्रण प्राधिकारी सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि को बढ़ा सकेगा :

परन्तु यह और कि परिवीक्षा अवधि को बढ़ाने का कोई विनिश्चय परिवीक्षा की प्रारंभिक अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात् और साधारणतः आठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा और संबंधित अधिकारी को ऐसा करने के कारणों सहित उक्त अवधि के भीतर संसूचित किया जाएगा ।

(2) परिवीक्षा अवधि या उसकी बढ़ाई गई किसी अवधि के पूरा होने पर अधिकारी को, यदि उसे स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाता है तो सरकार के समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के निबंधनों के अनुसार, पुष्टि की जाएगी ।

(3) यदि, यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि या उसकी बढ़ाई गई किसी अवधि के दौरान सरकार की यह राय है कि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, तो सरकार अधिकारी को, यथास्थिति, सेवोन्मुक्त कर सकेगी या उसे उस पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगी जो सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा धारण किया गया हो ।

(4) परिवीक्षा अवधि या उसकी बढ़ाई गई किसी अवधि के दौरान सरकार किसी अधिकारी से परिवीक्षा के समाधान प्रद रूप में पूरा करने की शर्त के रूप में यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह ऐसा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करें या ऐसी परीक्षाएं या ऐसे परीक्षण (जिसके अन्तर्गत हिन्दी में परीक्षा भी है) उत्तीर्ण करें जो सरकार उपयुक्त समझे ।

(5) जहां तक परिवीक्षा से संबंधित अन्य विषयों का संबंध है, सेवा के सदस्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों द्वारा शासित होंगे ।

11. सेवा में नियुक्ति :

सेवा में सभी नियुक्तियां, सेवा की विभिन्न श्रेणियों के सभी कर्तव्य पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी ।

12. तैनाती :

सेवा में नियुक्त किए गए अधिकारियों को भारत या विदेश में किसी भी स्थान पर सेवा करनी पड़ सकती है ।

13. रक्षा सेवाओं में या रक्षा से संबद्ध पदों पर सेवा करने का दायित्व :

सेवा में नियुक्ति किया गया कोई अधिकारी, यदि ऐसी अपेक्षा की जाए तो चार वर्ष से अन्यून अवधि के लिए, जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षण पर, यदि कोई हों, व्यतीत की गई अवधि भी है, किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा मे संबंधित पद पर सेवा करने का दायी होगा :

परन्तु ऐसी अधिकारी से :—

(1) सेवा में नियुक्ति की तारीख से या सेवा में उसके प्रवेश करने की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, उपयुक्त रूप में सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

(2) यदि उसने चालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तो उपर्युक्त रूप में सेवा करने की साधारणतः अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

14. निरर्हता :

वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नि जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

15. सेवा की अन्य शर्तें :

सेवा के सदस्यों की, ऐसे विषयों की बाबत जिनके लिए इन नियमों में कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं किया गया है, सेवा शर्तें वही होगी जो केन्द्रीय सरकार के समतुल्य पंक्ति के अधिकारियों को समय-समय पर लागू होती है ।

16. शिथिल करने की शक्ति :

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

17. व्यावृत्ति :

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

18. निर्वचन :

यदि इन नियमों के निर्वाचन से संबंधित कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसका विनिश्चय सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से किया जाएगा ।

[सं. ए-12022/2/87-स्थान-I]
मुसाफिर सिंह, अवर सचिव

टिप्पणी :—मूल नियम दिनांक 19-2-85 की अधिसूचना सं. ए-12011/2/81-स्था-1 द्वारा अधिसूचित किये गये थे,

जिन्हें दिनांक 9-3-85 की जी.एस.आर. सं. 255 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया और जिन्हें बाद में निम्न प्रकार संशोधित किया गया :—

क्रम संख्या	अधिसूचना सं.	दिनांक	जी.एस.आर. सं
1	2	3	4
1.	ए-12022/2/81-स्थान-1	15-3-1985 4444	309
2.	ए-12022/2/81-स्था-1	6-6-1985	602 दि. 22-6-85
3.	ए-12022/2/87-स्था-1	30-3-1988	322 दि. 23-4-88
4.	ए-12022/2/87-स्था-1	31-7-1989	तुरन्त उपलब्ध नहीं
5.	ए-12022/2/87-स्थान-1	30-10-1989	तुरन्त उपलब्ध नहीं
6.	ए-12022/2/87-स्था-1	21-9-1990	तुरन्त उपलब्ध नहीं

अनुसूची-1

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

भारतीय पूर्ति सेवा (समूह "क") की विभिन्न श्रेणियों में कर्तव्य पदों के नाम, संख्या और वेतनमान ।

क्रम संख्या	श्रेणी/पद का नाम	पदों की संख्या*	वेतनमान
1.	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी (अपर महानिदेशक)	2	7300-100-7600 रुपये
2.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (उप महानिदेशक)	10	5900-200-6700 रुपये
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी चयन श्रेणी-अकृत्यिक (निदेशक)	**	4500-150-5700 रुपये
4.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (निदेशक)	28*	3700-125-4700-150-5000 रु.
5.	ज्येष्ठ काल वेतनमान (उप निदेशक)	43	3000-100-3500-125-4500 रु.
6.	कनिष्ठ काल वेतनमान कर्तव्य पद (सहायक निदेशक श्रेणी 1)	37	2200-75-2800-द.रो.-100-4500 रुपये

आरक्षित 34

*1994 में कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

*इसके अंतर्गत 4500-150-5700 रुपये के वेतनमान वाले अकृत्यिक चयन श्रेणी के पद भी है ।

**कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (चयन श्रेणी) अकृत्यिक श्रेणी है और इस श्रेणी में पदों की अधिकतम संख्या, ज्येष्ठ कर्तव्य पदों (अर्थात् सेवा में ज्येष्ठ काल वेतनमान और उससे ऊपर के स्तर के सभी कर्तव्य पद) के 15 प्रतिशत के बराबर होगी और चयन श्रेणी (अकृत्यिक) में पदों की संख्या कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के लिए स्वीकृत पदों की संख्या तक सीमित रहेगी ।

अनुसूची-2

(नियम 7 देखिए)

भारतीय पूर्ति सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित कर्तव्य पदों पर प्रोन्नति के लिए अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति क्षेत्र और उसके ठीक नीचे की श्रेणी के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा ।

क्रम सं.	श्रेणी (कर्तव्य पद)	भर्ती की पद्धति	चयन का क्षेत्र और प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा
1.	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी (अपर महानिदेशक)	प्रोन्नति द्वारा	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है ।
2.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (उप महानिदेशक)	प्रोन्नति द्वारा	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है (जिसके अंतर्गत अकृत्यिक चयन श्रेणी में की गई सेवा यदि कोई भी हो, भी है) या सेवा की समूह क पदों पर 17 वर्ष नियमित सेवा की है जिसमें से चार वर्ष की नियमित सेवा कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में होनी चाहिए ।
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी, चयन श्रेणी (अकृत्यिक) (निदेशक)	समग्र कार्यपालन अनुभव और किन्हीं अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्तता पर आधारित ज्येष्ठता के आधार पर नियुक्ति द्वारा	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस वर्ष की प्रथम जुलाई को, जिसकी गणना उस परीक्षा जिसके आधार पर सदस्यों की भर्ती की गई हो, के वर्ष के आगामी वर्ष में की जाएगी, समूह के सेवा के चौहदवें वर्ष में प्रवेश कर लिया है
4.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (निदेशक)	प्रोन्नति द्वारा	सेवा में ज्येष्ठ काल वेतनमान के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो ।
5.	ज्येष्ठ काल वेतनमान (उप निदेशक)	प्रोन्नति द्वारा	सेवा के कनिष्ठ काल वेतनमान में ऐसे वे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास सेवा के कनिष्ठ काल वेतनमान में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता है ।
6.	कनिष्ठ काल वेतनमान (सहायक निदेशक श्रेणी)	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत आयोग द्वारा संचालित इंजीनियरी सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	ऐसा सहायक पूर्ति निदेशक (श्रेणी-II) जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है ।

अनुसूची- 3

[नियम 7 का उपनियम (5) देखिए]

भारतीय पूर्ति सेवा में सम्मिलित समूह "क" के पदों पर प्रोन्नति और पुष्टि के मामलों पर विचार करने के लिए समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना

क्रम संख्या	श्रेणी	श्रेणी "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध पर विचार करने के लिए)		श्रेणी "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)	
1.	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी (अपर महा-निदेशक)	1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग	सदस्य	लागू नहीं होता	
		2. सचिव पूर्ति	सदस्य		
		3. सचिव (वाणिज्य मंत्रालय)	सदस्य		
2.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (उप महा-निदेशक)	1. अध्यक्ष/सचिव संघ लोक सेवा आयोग	अध्यक्ष	लागू नहीं होता	
		2. सचिव/अपर सचिव (पूर्ति)	सदस्य		
		3. महानिदेशक (एस.एंड डी.)	सदस्य		
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी चयन श्रेणी (एन.एफ.) (निदेशक)	1. सचिव /अवर सचिव (पूर्ति)	अध्यक्ष	लागू नहीं होता	
		2. अपर महानिदेशक	सदस्य		
		3. संयुक्त सचिव (पूर्ति)	सदस्य		
4.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (निदेशक)	1. अध्यक्ष/सदस्य	अध्यक्ष	लागू नहीं होता	
		2. संयुक्त सचिव (पूर्ति)	सदस्य		
		3. अपर महानिदेशक/उप महानिदेशक	सदस्य		
5.	ज्येष्ठकाल वेतनमान (उप निदेशक)	1. संयुक्त सचिव (पूर्ति)	अध्यक्ष	लागू नहीं होता	
		2. उप महानिदेशक	सदस्य		
		3. निदेशक/उप सचिव (पूर्ति)	सदस्य		
6.	कनिष्ठ काल वेतनमान (सहायक निदेशक श्रेणी)	1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग	अध्यक्ष		
		2. अपर महानिदेशक/उप महानिदेशक	सदस्य	1. महा निदेशक (एस.एंड डी.)/ अपर महानिदेशक	अध्यक्ष
		3. निदेशक/उप सचिव (पूर्ति)	सदस्य	2. निदेशक (प्रशासन) डी.जी.एस.एंड डी.	सदस्य
				3. उप सचिव (पूर्ति)	सदस्य

टिप्पण–1 संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की अनुपस्थिति से विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां अवधि मान्य नहीं हो जाएंगी यदि समिति के आधे से अधिक सदस्य उसकी बैठकों में उपस्थित रहे हों ।

टिप्पण–2 पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियों आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी किन्तु यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी ।

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Supply)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 1994

G.S.R. 722(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of Indian Supply Service (Group 'A') Rules, 1985 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement :

(1) These rules may be called the Indian Supply Service (Group A) Rules, 1994.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition :—In these rules, unless the context otherwise requires :

(a) "Appointing Authority" in relation to any Grade means the authority empowered under the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, to make appointments to that Grade;

(b) "Cadre" means the group of posts in the Grades as specified in Schedule-I.

(c) "Cadre Controlling Authority" means the Govt. of India in the Ministry of Commerce, Department of Supply.

(d) "Commission" means the Union Public Service Commission;

(e) "Departmental Promotion Committee" means a committee constituted to consider promotion and confirmation in any Grade;

(f) "Duty Post" means any post included in Schedule-I.

(g) "Government" means the Government of India;

(h) "Grade" means any of the Grades specified in Schedule-I.

(i) "Regular Service" relation to any Grade means the period or periods of service in that grade rendered after selection and appointment there to under the rules according to the prescribed procedure for appointment to that grade and includes any period or periods :—

(i) taken into account for the purpose of seniority in case of those appointed under rule 6;

(ii) during which an officer would have held a duty post in that grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such post;

(j) "Schedule" means a Schedule to these rules;

(k) "Scheduled Castes and Scheduled Tribes" shall have the same meaning as assisgned to them in Clauses (24) and (25) respectively of article 366 of the Constitution;

(l) "Service" means the Indian Supply Service (Gr. 'A')

3. Composition of the Service :

All the duty posts included in the Service as specified in Schedule-I shall be classified as Central Civil Service Group 'A' posts.

4. Grade, Strength and its review.

(1) The duty posts included in the various grades, their numbers and scales of pay on the date of commencement of these rules shall be as specified in schedule-I.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1)

(a) The Government may, from time to time, make temporary additions or alterations to the duty posts in various grades;

(b) the Government may, in consultation with the Commission, include in the service such posts as can be deemed to be equivalent to the posts included in the Service in status, grade, pay scale professional content or excludes from the Service a duty post already included in the Service; and

(c) the Government may, in consultation with the Commission, appoint an officer to a duty post included in the Service under clause (b) to the appropriate grade on a regular basis and fix his seniority in the grade after taking into account continuous regular service in the analogous grade.

5. Member of the Service :

(1) The following persons shall be the members of the Service :

(a) persons appointed to duty posts under rule 6; and

(b) persons appointed to duty posts under rule 7.

(2) A person appointed under clause (a) of sub-rule (1) shall, on such appointment, be deemed to be the member of the Service in the appropriate grade applicable to him in Schedule-I.

(3) A person appointed under clause (b) of sub-rule (1) shall be the member of the Service in the appropriate grade applicable to him in Schedule-I from the date of such appointment.

6. Initial constitution of the Service:

(1) All existing officers holding duty posts on regular basis in Junior Time Scale, Senior Time scale, Junior Administrative Grade and Selection Grade-Non Functional of Junior Administrative Grade of the Indian Supply Service on the date of commencement of these rules shall be members of the Service in the respective grades.

(2) All the existing officers holding duty posts of Deputy Director General and Additional Director General on regular basis in the Selection Grade-Funcional of Junior Administrative Grade and Senior Admnistrative Grade of the Service respectively on the date of commencement of these rules shall continue to be in their respective posts and grades as existed before commencement of these rules till they are appointed to the upgraded posts of Deputy Director General in the scale of Rs. 5900-6700 and Additional Director General in the scale of Rs. 7300-7600 in accordance with the provisions of sub rule (3).

(3) The suitability of the existing regular holders of the posts of Additional Director General in the Senior Administrative Grade (Rs. 5900-6700) and Deputy Director General in the Functional Selection Grade of Junior Administrative Grade (Rs. 4500-5700) prior to upgradation of the posts in the scale of pay of Rs. 7300-7600 and Rs. 5900-6700, respectively, will be initially assessed by the Commission for appointment to the upgraded posts. If assessed suitable, they shall be deemed to have been appointed to the post at the initial constitution. If assessed 'not suitable' for appointment to the upgraded scales of pay they shall continue to be in the pre-revised scale and their case will be reviewed every year.

(4) The regular continuous service of officers referred to in sub-rule (1) & (2) before the commencement of these rules shall count for the purpose of probation, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.

(5) Where the Cadre Controlling Authority is not able to fill the posts in authorised regular strength of various grades in accordance with the provisions of this rule, the same shall be filled in accordance with the provisions of rules 7 and 8.

7. Future maintenance of the Service:

(1) The vacancies if any of the grades referred to in Schedule I, shall be filled in the manner hereinafter provided in this rule.

(2) (a) 50% of the vacancies for the grade of Junior Time Scale of the Service shall be filled by direct recruitment on the basis of Combined Engineering Services Examination conducted by the Commission, on the basis of educational qualification and age limits decided by the Commission for this purpose.

(b) 50% of the vacancies in the grade of Junior Time Scale shall be filled by the officers in the immediate lower grade and with minimum qualifying service as specified in Schedule II.

(3) All the vacancies in the grades of Senior Time Scale and above of the service shall be filled by promotion from amongst the officers in the immediate respective lower grade with minimum qualifying service as specified in Schedule II.

(4) The selection of officers for promotion shall be made by selection on merit except in the following cases, namely:

(a) Promotion of officers from the posts in the Junior Time Scale to the posts in the Senior Time Scale of the Service shall be in the order of seniority subject to the rejection of the unfit; and

(b) Grant of Selection Grade (Non Functional) in the Junior Administrative Grade of the Service shall be made in the order of their seniority based on their suitability taking into account the overall performance, experience and other related matters in accordance with the guidelines issued by the Government from time to time.

(5) Selection of officer in each case under item (b) of sub-rule (2) and sub-rule (3) shall be on the recommendations of the Departmental Promotion Committee constituted in accordance with Schedule III.

(6) If any officer appointed to any grade in the Service is considered for the purpose of promotion to the higher grade, all persons senior to him in the grade shall also be considered notwithstanding that they do not fulfil the prescribed eligibility service, if the shortfall is not more than one year and provided they have successfully completed their probation period, if prescribed.

8. Filling of Duty Posts by deputation:

Notwtihstanding anything contained in rule 7, where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, fill a duty post in any grade by transfer on deputation for a period not exceeding three years, which may in special circumstances be extended upto 5 years as the Government may think fit. The qualification, experience and the eligibility service for appointment to any grade of the Service

under this rule shall be decided by the Government in consultation with the Commission on each occasion.

9. Seniority:

The relative seniority of members of the Service appointed to a Grade in the respective grades under rule 6, shall be as obtaining on the date of commencement of these rules.

Provided that if the seniority of any such member had not been specifically determined on the said date, the same shall be as determined on the basis of the rules governing the fixation of seniority as were applicable to the members of the Service prior to the commencement of these rules.

(2) The seniority of persons recruited to the Service other than those appointed under rule 6 shall be determined in accordance with the general instructions issued by the Government in the matter from time to time.

(3) In cases not covered by sub-rules (1) and (2) seniority shall be determined by the Government in consultation with the Commission.

10. Probation:

(1) Every officer on appointment to the post in the Junior Time Scale of the Service either by direct recruitment or by promotion shall be on probation for a period of two years:

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time in this behalf;

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken immediately after the expiry of initial period of probation and ordinarilly within eight weeks and communicated in writing to the concerned officer together with reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof officer shall, if considered fit for permanent appointment, be confirmed in terms of the orders of the Government issued from time to time.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, Government may discharge the officer or revert him to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be.

(4) During the period of probation or any extension thereof an officer may be required by Government to undergo such courses of training or to pass such examinations or tests (including examination in Hind) as the Government may deem fit, as condition for satisfactory completion of probation.

(5) As regards other matters relating to probation, the members of the service will be governed by the orders or instructions issued by the Government in this regard from time to time.

11. Appointment to the Service:

All appoitments to the Service shall be made by the appointing Authority for all the duty posts in various grades of the Service.

12. Posting :

Officers appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

13. Liability to serve Defence Services or posts connected with Defence:

Any officer appointed to the Service, if so requied, shall be liable to serve in any Defence Service or post connected with the defence of India, for a period of not less than four years including the period spent on training, if any:

Provided that such officers:—

(i) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment to the service or from the date of his joining the Service;

(ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid if he has attained the age of forty years.

14. Disqualification:

No. person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the Service;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

15. Other conditions of the Service:

The conditions of service of members of the Service in respect of matters for which no specific provision has been made in these rules, shall be the same

as are applicable, from time to time, to officers of equivalent rank of the Central Government.

16. Power to Relax:

Where the Government is of the opinion that it is necessary or expendient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

17. Saving:

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation in age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

18. Interpretation:

If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be decided by the Government in consultation with the Commission.

[No. A-12022/2/87—ESI]
MUSAFIR SINGH, Under Secy.

[Note: Principal Rules were notified vide Notification No. A-12011/2/81-ESI dated 19-2-1985 published in the Gazette of India under GSR No. 255 dated 9-3-85 subsequently amended by:-

Sl. No.	Notification No.	Date	GSR No.
1.	A-12022/2/81-ESI	15-3-1985	309
2.	A-12022/2/81-ESI	6-6-1985	602 dt 22-6-1985
3.	A-12022/2/87-ESI	30-3-1988	322 dt. 23-4-1988
4.	A-12022/2/87-ESI	31-7-1989	Readily not available
5.	A-12022/2/87-ESI	30-10-1989	Readily not available
6.	A-12022/2/87-ESI	21-9-1990	Readily not available.

SCHEDULE—I

[See Sub-rule (1) of Rule 4]

Name, Number and Scale of pay of duty posts in the various grades of the Indian Supply Service (Group 'A')

Sl. No.	Name of the grade/Post		No. of Posts*	Scale of pay
1.	Higher Administartive Grade (Additional Director General)		2	Rs. 7300-100-7600/-
2.	Senior Administrative Grade (Deputy Director General)		10	Rs. 5900-200-6700/-
3.	Junior Administrative Grade Selection Grade Non-Functional (Director)		**	Rs. 4500-150-5700/-
4.	Junior Administrative Grade (Director)		28@	Rs. 3700-125-4700-150-5000/-
5.	Senior Time Scale (Deputy Director)		43	Rs. 3000-100-3500-125-4500/-
6.	Junior Time Scale (Assistant Director Grade I)	Duty post	37	Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000/-
		Reserve	34	

*In 1994 subject to variation dependent on workload.

@ Includes Non-functional selection grade posts also in the scale of pay of Rs 4500-150-/-5700/-

**The Junior Administrative Grade (Selection Grade) is Non-Functional Grade and the maximum number of posts in this Grade shall be equal to 15% of the senior duty posts (eg. i.e. all duty posts at the level of Senior Time Scale and above in the Service) and the number of posts in the Selection Grade (Non-functional) will be limited to the number of posts sanctioned in Junior Administrative Grade.

SCHEDULE II

(See rule 7)

Method of recruitment, field of promotion and minimum qualifying service in the immediate lower grade for appointment of officers on promotion to duty posts included in the various grade of the Indian Supply Service.

Sl. No.	Grade (Duty posts)	Method of Rectt.	Field of selection and minimum qualifying service for promotion
1.	Higher Administrative Grade (Additional Director General)	By promotion	Officers in the Senior Administrtive Grade with three years regular service in the Grade.
2.	Senior Administrative Grade (Deputy Dirctor General)	By promotion	Officers in the Junior Administrative Grad with 8 years regular service in the grade (including service, if any, rendered in the Non-functional Selection Grade) or seventeen years regular service in Group A posts of the service out of which four years regular service should be in Jr. Administrative Grade.
3.	Junior Administrative Grade Selection Grade (Non-Functional) (Director)	By appointment on the basis of seniority based on suitability taking into account the over all performance, experience and any other related matters.	Officer of the Junior Administrative Grade who have entered the foruteenth year of Group A service on the first of July of the year calcuated from the year following the year of examination on the basis of which the members have been recruited
4.	Junior Administrative Grade (Director)	By promotion	Officers in the Senior Time Scale of the service with five years regular service in the grade.
5.	Senior Time Scale (Deputy Director)	By promotion	Officers in the Junior Time scale of the service with 4 years regular service in the grade, possessing educational qualification prescribed for direct recruitment into Junior Time scale of the Service.
6.	Junior Time Scale (Assistant Director) (Grade-I)	50% by promotion 50% by direct recruitment through Engineering Services Exam. conducted by the Commission.	Assistant Director of Supplies (Grade II) with 3 years regular service in the grade.

SCHEDULE III

[See Sub-rule (5) of Rule 7]

Composition of Group 'A' DPC for considering cases of promotion and confirmation in Group 'A' posts included in the Indian Supply Service.

Sl. No.	Grade	Gr. 'A' DPC (for considering promotion		Gr. 'A' DPC (for considerng confirmation)
1	2	3		4
1.	Higher Administrative Grade (Additional Director General)	1. Chairman/Member of UPSC 2. Secretary (Supply) 3. Secretary, M/o Commerce	Chairman Member Member	Not applicable.
2.	Senior Administrtive Grade (Deputy Director General)	1. Chairman/Member of UPSC 2. Secretary/Additional Secretary (Supply) 3. Director General (S&D)	Chairman Member Member	Not applicable.
3.	Junior Administrative Grade Selection Grade (NF) (Director)	1. Secretary/Additional Secretary (Supply) 2. Additional Director General 3. Joint Secretary (Supply)	Chairman Member Memner	Not applicable.
4.	Junior Administrative Grade (Director)	1. Chairman/Member of UPSC 2. Joint Secretary (Supply) 3. Additional Director General/ Deputy Director General	Chairman Member Member	Not appliable.
5.	Senior Time Scale (Deputy Director)	1. Joint Secretary (Supply) 2. Deputy Director General 3. Director/Deputy Secretary (Supply)	Chairman Member Member	Not applicable.
6.	Junior Time Scale (Assistant Director Grade-I)	1. Chairman/Member of UPSC	Chairman	1. Director: General (S&D)/ Additional Director General Chairman
		2. Additional Director General/ Deputy Director General	Member	2. Director (Admn) D GS&D—Member
		3. Director/Deputy Secretary (Supply)	Member	3. Dy. Secy. (D/o Supply) —Membe

Note 1.—The absence of a Member, other than the Chairman or a Member of the UPSC shall not invalidate the proceedings of the Departmental Promotion Committee if more than half the members of the Committee had attended its meetings.

Note 2.—The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If,however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC, shall be held.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994